न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम रिजवान
वाद सं0–875/2017
मु0अ0सं0–48/2017
धारा–3/25 आयुध अधि0
थाना–भोजपुर

16.11.2018

अभियुक्त रिजवान की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं0–875/2017 मु0. अ0सं0–48/2017 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधि0 थाना भोजपुर में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त वाद उपरोक्त में पूर्व से जमानत पर था अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका तथा न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिये गये। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था तथा नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध वारंट जारी कर दिये गये थे। अभियुक्त की जमानत पूर्व में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–12 से दिनांक 10.02.2017. स्वीकृत हो चुकी है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रिजवान द्वारा पचास–पचास हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा